मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1021
10.02.2025 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए योजनाएं

1021. श्री राजेश रंजन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कोई योजना क्रियान्वित की है या क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात कोई अध्ययन किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) सरकार, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पर्यावरण के परिरक्षण, संरक्षण और सुरक्षा तथा प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन पर लक्षित विधायी और विनियामक तथा प्रशासनिक उपायों का एक सेट अधिसूचित किया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) को जलवायु परिवर्तन सहित भारत की पर्यावरण और वन संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए केंद्र सरकार में नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है।

इस मंत्रालय ने पर्यावरण और वनों के परिरक्षण, संरक्षण और सुरक्षा तथा प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन पर लक्षित विभिन्न स्कीमें शुरू की हैं।

ये स्कीमें अपने-अपने कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और इनमें पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण; राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम; पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास; प्रदूषण नियंत्रण; राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास; प्राकृतिक संसाधनों और पारिप्रणाली के संरक्षण संबंधी समावेशी स्कीमें शामिल हैं, जिनमें से कुछ का सकारात्मक प्रभाव नीचे दिया गया है :

विविक्त कणों में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2025-26 तक 40% तक की कमी करके वायु गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में 24 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 130 शहरों को शामिल किया गया है। वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों को अद्यतित करने के लिए 'प्राण' नामक पोर्टल शुरू किया गया है।

अपशिष्टों के विभिन्न प्रकार में चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक विनियामक कार्यढांचा अधिसूचित किया गया है। उत्पादकों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व व्यवस्था के तहत प्रयोग अवधि समाप्त हुए अपशिष्टों का पुनर्चक्रण करना अधिदेशित किया गया है। अर्थव्यवस्था में चक्रीयता को संवर्धित करने और पर्यावरणीय अनुकूल रीति से अपशिष्टों के प्रबंधन में भी सहायता करने के उद्देश्य से प्लास्टिक अपशिष्ट, टायर अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, प्रयुक्त तेल अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट के संबंध में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) संबंधी नियम अधिसूचित किए गए हैं।

मैंग्रोव को अद्वितीय प्राकृतिक पारि-प्रणाली के रूप में पुनर्बहाल करने तथा तटीय पर्यावासों की संधारणीयता को परिरक्षित और संवर्धित करने के लिए दिनांक 05 जून, 2024 को 'तटीय पर्यावास और मूर्त आय हेतु मैंग्रोव पहल (मिष्टी)' शुरू की गई है। मिष्टी का उद्देश्य, भारत के तटों पर मैंग्रोव के पुनर्वनीकरण/वनीकरण संबंधी उपाय करके 'मैंग्रोव वनों की पुनर्बहाली' करना है। 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 22,561 हेक्टेयर अवक्रमित मैंग्रोव वन पुनर्बहाल किए गए हैं और 06 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 3,836 हेक्टेयर क्षेत्र की पुनर्बहाली के लिए 17.96 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड (एनएईबी), नगर वन योजना क्रियान्वित कर रहा है जिसमें शहरी निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के अलावा वनों के बाहर वृक्षों और हरित आवरण को बढ़ाना, जैवविविधता का संवर्धन करना तथा शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को पारिस्थितिकीय लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 से 2026-27 तक की अवधि के दौरान देश में 600 नगर वन और 400 नगर वाटिकाएं विकसित करने की परिकल्पना की गई है।

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विवेकपूर्ण और ध्यानपूर्वक उपभोग करके संधारणीय जीवनशैलियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत द्वारा अक्टूबर, 2022 में मिशन लाइफ (पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली) नामक वैश्विक पहल शुरू की गई है। इस पहल के अंतर्गत सात प्रमुख विषयों नामत: जल की बचत, ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट न्यूनीकरण, ई-कचरे का प्रबंधन, सिंगल-यूज प्लास्टिक को समाप्त करने, संधारणीय खाद्य प्रणालियों को प्रोत्साहित करने और स्वस्थ जीवनशैलियां अपनाने पर बल दिया गया है।

'लाइफ' के अनुरूप, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 26 सितंबर, 2024 को इको-मार्क नियम अधिसूचित किए हैं। इस स्कीम के तहत 'लाइफ' के सिद्धांतों के अनुरूप पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की मांग को प्रोत्साहन मिलेगा तथा ऊर्जा की कम खपत, संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत सटीक लेबलिंग सुनिश्चित करना और उत्पादों के बारे में भ्रामक जानकारी फैलने से रोकना लक्षित है।

दिनांक 05 जून, 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'एक पेड़ मां के नाम (#Plant4Mother)' अभियान शुरू किया, जिसके तहत लोगों को अपनी मां के प्रति प्रेम और सम्मान के प्रतीक के रूप में तथा धरती मां की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पेड़ लगाने का आह्वान किया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च, 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाना सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संस्थानों और संगठनों से सहयोग का अनुरोध किया। जनवरी 2025 तक 109 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं।

देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या वर्ष 2014 में 745 से बढ़कर 1022 हो गई है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.43% है। समुदाय रिजर्वों की स्थापना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। देश में समुदाय रिजर्वों की संख्या वर्ष 2014 में 43 से बढ़कर आज की तारीख में 220 हो गई है।

देश में संरक्षित क्षेत्रों के अलावा, बाघों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के मुख्य लक्ष्य के साथ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित 57 बाघ रिजर्व भी हैं। राज्यों ने हाथियों को सुरक्षित पर्यावास प्रदान करने के लिए 33 हाथी रिजर्व भी घोषित किए हैं।

वर्ष 2014 के बाद से, 'रामसर' स्थलों की सूची में 59 आर्द्रभूमि जोड़ी गई हैं, जिससे देश में 1.35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र सहित यह संख्या 89 हो गई है। भारत, रामसर स्थलों की संख्या के मामले में एशिया में सबसे बड़ा 'रामसर स्थल नेटवर्क' और विश्व में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके अलावा, रामसर कन्वेंशन के तहत क्रियान्वित की जा रही 'आर्द्रभूमि शहर प्रत्यायन स्कीम' के तहत उदयपुर और इंदौर को हाल ही में आर्द्रभूमि प्रत्यायित शहरों की सूची में शामिल किया गया है।

अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बाघों की अनुमानित संख्या 3,682 है जो विश्व के वन्य बाघों की संख्या का 70% है। बाघ रिजर्व नेटवर्क के तहत वर्तमान में 82,836.45 वर्ग किमी क्षेत्र आता है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.5% है।

भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाई इसके अद्यतित राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदानों (एनडीसी) और वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की दीर्घकालिक कार्यनीति द्वारा निर्देशित है और यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से अंतर-संबंधित है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) में सभी जलवायु संबंधी कार्रवाइयों के लिए व्यापक कार्यढांचे का प्रावधान किया गया है और इसमें सौर ऊर्जा, संवर्धित ऊर्जा दक्षता, संधारणीय पर्यावास, जल, संधारणीय हिमालयी पारिप्रणालियां, हरित भारत, संधारणीय कृषि, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन हेतु कार्यनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों के मिशन शामिल हैं। इन सभी मिशनों को उनके संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा संस्थापित और कार्यान्वित किया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान करते हुए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें नामत: जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (सीसीएपी) और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी) कार्यान्वित की हैं।

इन क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप, भारत ने जीएचजी उत्सर्जनों से आर्थिक विकास को उत्तरोत्तर अलग करना जारी रखा है। वर्ष 2005 और 2020 के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई है। अक्टूबर 2024 तक, संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों का हिस्सा 46.52% था। बृहत जल-विद्युत सहित नवीकरणीय विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता 203.22 गीगावॉट है, और संचयी नवीकरणीय विद्युत की संस्थापित क्षमता (बृहत जलीय परियोजनाओं को छोड़कर) मार्च 2014 में 35 गीगावॉट से 4.5 गुना बढ़कर 156.25 गीगावॉट हो गई है। भारत का वन और वृक्ष आवरण निरंतर बढ़ा है और वर्तमान में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। वर्ष 2005 से 2021 तक, 2.29 बिलियन टन सीओ$_2$ समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित किया गया है।

पुराने संचयी उत्सर्जनों और वैश्विक उत्सर्जनों के वर्तमान स्तरों में भारत के बहुत कम योगदान के बावजूद, भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और इसके पेरिस करार में निर्धारित किए अनुसार विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में तथा संधारणीय विकास और गरीबी उन्मूलन संबंधी प्रयासों के संदर्भ में साम्या तथा साझा किन्तु भिन्न उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत को परिलक्षित करने के लिए कई जलवायु संबंधी कार्रवाइयां की हैं।

*****